1352 sale 6,75,000/- P.S. Mohanpur 1220

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3.530X 190169
671296

Area 3-530 Dec

Paid
202.50
202-50
20,452-50

05AA 263185

Stamp 270001/-

निबंधन अधिनियम..........21..........के अधीन और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की धारा..........के अधीन भी ग्राह्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के खण्ड..........23.....के अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

21.12.16
निबंधन पदाधिकारी

दस्तावेज जाँच किया
21.12.16

विनोद कुमार खवाड़े 21.12.16

बिक्रय पत्र कीमत कुल 6,75,000/–रूपये मात्र

बिक्रेता :–श्री विजय भारत, पिता श्री श्रीनारायण खवाड़े, जाति ब्राह्मण, पेशा नौकरी, साकिन रामेश्वर लाल सरार्फ रोड, बी. देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य–झारखण्ड (PAN-BAYPK7697E) वजरिये आम मोख्तार **श्री विनोद कुमार खवाड़े**, पिता श्री श्रीनारारण खवाड़े, जाति ब्राह्मण, पेशा नौकरी, साकिन रामेश्वर लाल सरार्फ रोड, बी. देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर,

ATTESTED
संजीव कुमार सिंह   समीर सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 263184

विनोद कुमार रवानी

राज्य–झारखण्ड, जो दिनांक 11/07/2016 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित आम मोख्तार नामा दलील पुस्तक संख्या IV, जिल्द संख्या 6, पृष्ठ संख्या 1 से 94 में निबंधित जिसकी सिलसिलेवार संख्या 564, दस्तावेज संख्या 63 वर्ष 2016 ईस्वी के द्वारा सक्षम है, **आम मोख्तार नामा दलील की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक–1**
बैंक खाता की छायाप्रति संलग्न।

क्रेता :–1.श्री संजीव कुमार सिंह, पिता श्याम प्रसाद सिंह।
2.श्री समीर सिंह, 3.श्री संदीप कुमार सिंह, दोनों के पिता श्री संजीव कुमार सिंह।।
जाति राजपूत, पेशा न0 1 कास्तकारी, न0 2 व 3 व्यवसाय, साकिनान तेलिया लौगॉय, थाना फुल्लीडुमर, जिला बांका, राज्य बिहार।
बिकेता संख्या 1 का वर्तमान साकिन प्रभा एपार्टमेन्ट, बी–2, चौथा फ्लोर, एल. सी. रोड, हीरापुर, धनबाद, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता–भारतीय।
पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

संजीव कुमार सिंह

S Singh

समीर सिंह

ATTESTED
NOTARY (REGD NO. ...)
GOVT. OF JHARKHAND

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

विनोद कुमार तिवारी

लेख्य प्रकार :–बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :–कुल 6,75,000/–छः लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :–निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, वर्तमान थाना मोहनपुर, शामिल मौजा रामपुर न0 581 के अन्दर कामत सत्व की जमीन अन्दर जमाबन्दी न0 65 जो गत गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट के पर्चा/खातियान स्लीप में नरीन्दर नाथ झा वो नुनुराम झा पेशरान शोकर झा वो जय कुमार चक्रवर्ती वो विजय कुमार चक्रवर्ती वो सुर्य नारायण चक्रवर्ती वो महादेव चक्रवर्ती पेशरान बनवारी चक्रवर्ती के नाम से कामत दर्ज है, **खातियान स्लीप/पर्चा की छायाप्रति जो उक्त आम मोख्तार नामा में संलग्न है।**

S Singh संजीव कुमार सिंह

संगीता सिंह

ATTESTED
NOTARY (REGD NO. ...)
GOVT. OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND 46937…

विनोद कुमार खवाड़े

दिनांक 01/06/1937 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 5, पृष्ठ संख्या 145 से 148 में निबंधित जिसकी संख्या 196 वर्ष 1937 ईस्वी के द्वारा, नुनुराम झा पुरोहितवार व गोपाल झा पुरोहितवार पिता स्वर्गीय नरीन्द्र नाथ झा पुरोहितवार ने उपर्युक्त कामत व बकास्त जमीन में से बिना बंटवारा का अपना अर्द्धांश हिस्सा को गोविन्द प्रसाद झा खवाड़े पिता छोटेलाल खवाड़े साकिन देवघर के निवासी के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त गोविन्द प्रसाद झा खवाड़े उपर्युक्त सम्पत्ति में जयकुमार चक्रवर्ती वगैरह के साथ अर्द्धांश सम्पत्ति के हकदार और इजमाल में दखलकार हुए, **बिकय पत्र की छायाप्रति जो उक्त आम मोख्तार नामा में संलग्न है।**

संजीव कुमार सिंह

S Singh

समीर सिंह

ATTESTED
20/2/17
NOTARY (REGD NO. 225/[illegible])
GOVT. OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR (INDIA)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

469369

विनोद कुमार एक्का

उपर्युक्त गोविन्द प्रसाद झा खवाड़े के स्वर्गवास करने के बाद उनके पुत्र शंभुनाथ झा खवाड़े अपने पिता के अन्यान्य सम्पत्तियों के साथ उपर्युक्त अर्द्धांश सम्पत्ति के हकदार और दखलकार हुए।

अलग अलग जोत आबाद करने के सहुलियत के लिये बंगला सन 1351 साल माह पोष में शंभुनाथ झा खवाड़े एक पक्ष और उपर्युक्त जयकुमार चक्रवर्ती वगैरह चारों भाईयों के वारिसान कराली चन्द्र चक्रवर्ती वगैरह आपस में आधा आधा करके बंटवारा कर लिये जिसकी पुष्टि दिनांक 08/01/1951 ईस्वी में एक कीता एकरारनामा जिसमें शंभुनाथ झा खवाड़े प्रथम पक्ष हैं और कराली चन्द्र चक्रवर्ती वगैरह सभी हिस्सेदारान द्वितीय पक्ष हैं के साथ दोनों पक्षों ने की है, उक्त एकरारनामा के ''क'' तफसील में वर्णित सम्पत्ति शंभुनाथ झा खवाड़े के हिस्से में मिली है जिसपर बंटवारा तारीख से शंभुनाथ झा खवाड़े बहैसियत पूर्ण मालिक निर्विवाद रूप से दखलकार रहे व बिहार सरकार की राजस्व विभाग में अपने हिस्से की सम्पत्ति का खजाना अपने नाम से धार्य करवाकर सालाना खजाना अपने नाम से आदाय करते रहे।

ATTESTED
28.12.2?

S Singh
संजीव कुमार सिंह
NOTARY (REGD No. 225/04
GOVT. OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR (INDIA)

सतीश सिंह

उपर्युक्त शंभुनाथ झा खवाड़े के स्वर्गवास करने पर उनके लड़के हरिनारायण खवाड़े, जयनारायण खवाड़े व जगत नारायण खवाड़े उनके कुल सम्पत्तियों के हकदार और दखलकार हुए और तीनों भाई सन 1972 ईस्वी में आपस में बंटवारा करने पर उक्त मौजा रामपुर स्थित कामत सत्व की जमीन में अन्यान्य प्लाटों के साथ प्लाट न0 299, 300, 301 एवं 302 उपर्युक्त हरिनारायण खवाड़े के हिस्से में मिली जिसपर बंटवारा तारीख से उपर्युक्त हरिनारायण खवाड़े बहैसियत पूर्ण मालिक निर्विवाद रूप से दखलकार हुए।

उपर्युक्त हरिनारायण खवाड़े दिनांक 09/12/1996 ईस्वी में एक पारिवारिक व्यवस्था के मुताबिक उक्त मौजा रामपुर स्थित अपने हिस्से की कामत जमीन को अपने पुत्र श्रीनारायण खवाड़े व पुत्री श्रीमती नीरा देवी नरौने के बीच बंटवारा कर दिये। उक्त दिनांक 09/12/1996 ईस्वी के बंटवारे के उपरान्त अन्यान्य प्लाटों के साथ प्लाट न0 299, 300, 301 एवं 302, जमाबंदी न0 65, 55 व 66 श्री नारायण खवाड़े के हिस्से में मिली। उपर्युक्त श्रीनारायण खवाड़े अपने पुत्र रवि खवाड़े उर्फ प्रकाश खवाड़े, विनोद कुमार खवाड़े, विजय भारत व सुभाष खवाड़े के साथ इजमाल सम्पत्ति को इजमाल रूप में भोग दखल करते हुए दिनांक 24/11/2003 ईस्वी में श्रीनारायण खवाड़े अपने पुत्रों के बीच मौजा रामपुर न0 581 के अन्दर कामत सत्व की जमीन प्लाट न0 299, 300, 301 एवं 302 को आपस में आपुसी बंटवारा करने के बाद उपर्युक्त सभी ने अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति के कुछ अंश को बिक्री कर दिये और कुछ अंश अलग अलग हिस्से में रहा और पुर्व में किये हुए बंटवारा के मुताबिक उपर्युक्त श्रीनारायण खवाड़े–प्रथम पक्ष, रवि खवाड़े उर्फ प्रकाश खवाड़े–द्वितीय पक्ष, विनोद कुमार खवाड़े–तृतीय पक्ष, विजय भारत–चतुर्थ पक्ष व सुभाष खवाड़े–पंचम पक्ष ने दिनांक 11/04/2013 ईस्वी में निष्पादित तथा दिनांक 29/05/2013 ईस्वी में केवल प्रसाद सिंह नोटरी देवघर के समक्ष पारिवारिक व्यवस्था के द्वारा बंटवारा कर लेने पर उक्त मौजा रामपुर के अन्दर कामत सत्व की जमीन प्लाट न0 299, 300, 301 का अंश रकवा 13,501 वर्गफीट, देवघर नगर निगम वार्ड न0 26, बमोजीव उक्त पारिवारिक व्यवस्था पत्र के संलग्न नक्शा में भूरा रंग से रंगा हुआ अंश मार्क ''सी'' मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता विजय भारत के हिस्से में मिली तथा उक्त मौजा रामपुर के अन्दर कामत सत्व की जमीन प्लाट न0 299, 300, 301 व 302 का अंश रकवा 14,459 वर्गफीट, देवघर नगर निगम वार्ड न0 26, बमोजीव उक्त पारिवारिक व्यवस्था पत्र के संलग्न नक्शा में हरा रंग से रंगा हुआ अंश मार्क ''बी'' मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त श्री सुभाष खवाड़े के हिस्से में मिली, **पारिवारिक व्यवस्था पत्र की छायाप्रति जो उक्त आम मोख्तार नामा दलील में संलग्न है।**

ATTESTED
NOTARY (REGD No. 225/...)
GOVT OF JHARKHAND

उपर्युक्त मैं बिक्रेता श्री विजय भारत उक्त अपने हिस्से की सम्पत्ति पर अलग रूप से दखलकार होकर तथा अंचल कार्यालय मोहनपुर में नामान्तरण वाद संख्या 4/2014–2015 के द्वारा दिनांक 26/04/2014 से 12/05/2014 ईस्वी तक के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करवाकर सालाना मालगुजारी आदाय करते हुए बहैसियत पूर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हूँ, **नामान्तरण आदेश व मालगुजारी रसीद की छायाप्रति जो उक्त आम मोख्तार नामा दलील में संलग्न है।**

उपायुक्त देवघर के ज्ञापांक 205/विधि0, देवघर, दिनांक 09/09/2016 की छायाप्रति संलग्न, **अनुलग्नक–2**

उक्त कामत सत्व की जमीन जो Land Reforms Act की धारा 6 के अनुसार हर तरह से हस्तान्तरण योग्य है जिसकी पुष्टि पटना हाईकोर्ट के मुकदमा C.W.J.C.-738 में गत तारीख 7/6/69 के फैसले P.L.J.R. 373 के द्वारा होती है।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने जरूरी सांसारिक खर्च के लिए रूपये की सख्त जरूरत है, इसलिए उक्त अपने हिस्से की सम्पत्ति के अन्दर रकवा 1,538 वर्गफीट परती जमीन पूर्ण विवरण निम्न अनुसुची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता, इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 6,75,000/–छः लाख पचहत्तर हजार रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववान व दखलकार होकर मय अपने उत्तराधिकारी पुत्र पौत्रादि वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करते रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

संजीव कुमार सिंह

ATTESTED

NOTARY (REGD NO. 225/...) GOVT. OF JHARKHAND

विनोद कुमार खवाड़े

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति का मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालिक हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय–संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप केता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगा।

अतएँव आज तारीख मैं बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 21.12.2016

अनुसूची सम्पत्ति

थाना न0 581, जिला सबडिविजन, सबरजिष्ट्री देवघर, थाना मोहनपुर, अंचल मोहनपुर, सामील मौजा रामपुर के अन्दर कामत सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 मिलजुमले 299 व 301 का अंश, मार्क ''सी'' का अंश, रकवा 1,538 वर्गफीट (एक हजार पॉच सौ अढ़तीस वर्गफीट) यानि 3.530 डिसमिल परती व खाली जमीन, अन्दर सर्वे जमाबंदी न0 65, राजस्व विभाग के पंजी II का जमाबंदी न0 65/6, देवघर नगर निगम वार्ड न0 पुराना 26, वर्तमान में देवघर नगर निगम वार्ड न0 26, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, बिक्री किया जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–बिनोद कुमार खवाड़े की जमीन।
इधर की माप 48'–00'' फीट।

दक्षिण :–मृदुला देवी की खरीदगी जमीन।
इधर की माप 51'–06'' फीट।

पुरब :–12'–00'' फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।
इधर की माप 30'–11'' फीट।

पश्चिम :–बिकेता की जमीन।
इधर की माप 30'–11'' फीट।

ATTESTED
20.12.23
NOTARY (REGD NO. 225/04)
GOVT. OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR (INDIA)

रणधीर सिंह
संजीव कुमार सिंह

घोषणा :—उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सी. बी. आई जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही की भागी होऊॅगा।

गवाहान

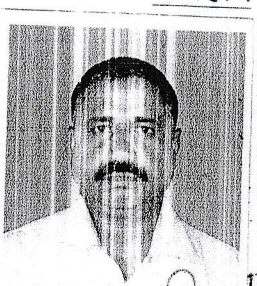

(1) Niranjan Mandal
S/O Sri Sahdeo Mandal.
Professors' Colony. Bilasi Town
Deoghar P.S + Dist Deoghar
M - 9955134595
21.12.16

(2) Anil Kumar Singh.
S/O Sri Samsher Bahadur Singh
Williams Town, Deoghar
E.S.M., BALIC, DEOGHAR
Mob No - 9431190419
21.12.16

ATTESTED
26/12/23

रकम प्राप्ति रसीद

(Memo of Consideration)

1. Draft No.063294 dated 26.10.2016 Bank of Baroda Banka
   of Rs ---2,25,000=00
2. Draft No.065857 dated 27.10.2016 Uco. Bank Makduma
   of Rs ---2,25,000=00
3. Draft No.249005 dated 28.10.2016 Uco. Bank Kaushalpur
   of Rs ---2,20,000=00
4. By Cash of Rs.-- 5,000=00

Total –6,75,000=00

बिक्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान–

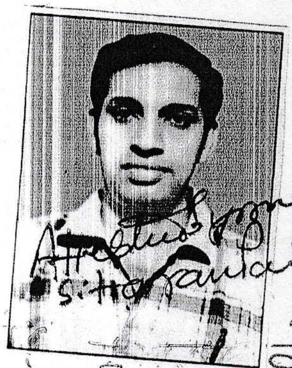

ATTESTED

NOTARY (REGD NO. 225/04)
GOVT OF JHARKHAND
[illegible]

क्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान–

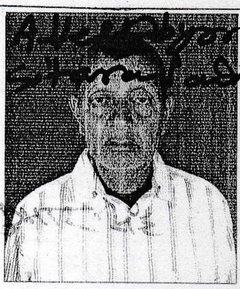

संजीव कुमार सिंह
21.12.16

मो– 8809855971

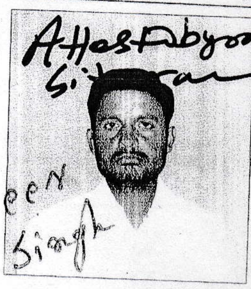

Sameer Singh
21.12.16

8405991020

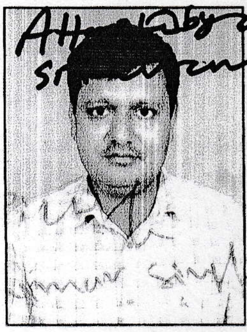

S Singh Sandip kr. singh
21-12-16

मो– 9470479460

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूप कर्ता सीताराम पंडित
डीडरायटर देवघर, दिनांक 21-12-2016

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र, दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं, सीताराम पंडित
डीडरायटर देवघर, दिनांक 21-12-2016

L.N. 37(5)82

ATTESTED
20/12/...
NOTARY (REGD NO. 225/...)
GOVT. OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR (INDIA)

S Singh संजीव कुमार सिंह
समीर सिंह

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- RAMPUR NO-581 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO- 26 J. B. NO-65/6 PART OF SETTLMENT PLOT NO-299 & 301 MARRK- C AREA:-1538sqft. SHOWN IN RED COLOUR BELONG'S TO SRI VIJAY BHARAT S/O SRI SRINARAYAN KHAWARE THROUGH ATTORNEY SRI BINOD KHAWARE & NOW SOLD TO 1. SRI SANJEEV KUMAR SINGH S/O SHYAM PRASAD SINGH , 2. SAMEER SINGH & 3.SANDIP KUMAR SINGH BOTH SONS OF SANJEEV KUMAR SINGH OF VILL- TELIA LOWGAIN P.S- FULLI DUMAR, DIST- BANKA.

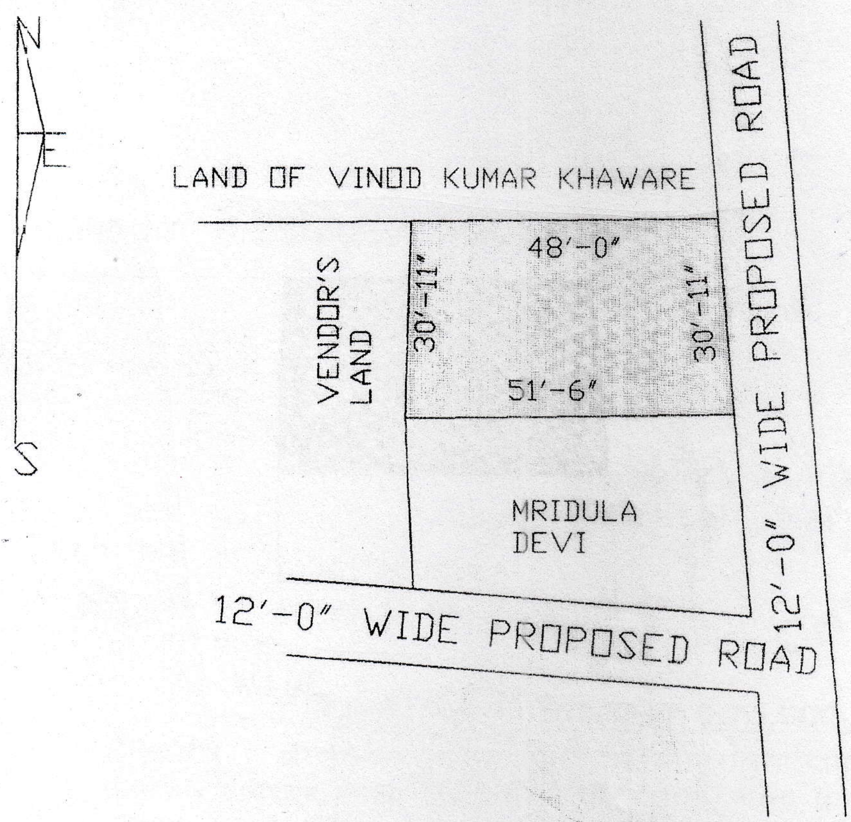

Traced by M.K.K. 20/01/2016

ATTESTED 20/12/21

NOTARY (REGD No. 225/04) GOVT. OF JHARKHAND DIST. DEOGHAR (JH)

S Singh संजीव कुमार सिंह

समीर सिंह